

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 18/2017

भीयाराम पुत्र चान्दाराम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीङ्गरगढ़ जिला
बीकानेर

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीङ्गरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्टान

रेस्पोंडेंट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1958::

उपस्थिति :-

- 1- अपीलान्ट की ओर से - श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत अधिवक्ता
- 2- स्टेट की ओर से - विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीङ्गरगढ़ के आदेश दिनांक 08.11.2013 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, उसूल, प्रकृतिक न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीङ्गरगढ़ के आदेश दिनांक 08.11.2013 निरस्त फरमाया जावें।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि हल्का पटवारी बिग्गा बास, रामसर की छपे-छपाये रिपोर्ट कि अपीलान्ट ने ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 की तादादी 5.21 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड़ पायतन भूमि में से 0.07 हैक्टर भूमि पर नाजायज कब्जा कर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब एवं खसरा नम्बर 25 या अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने संबंधित कागजात पेश किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब व कागजात को नहीं मानते हुवे अपीलार्थी की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने जहां अपना मकान बना रखा है, वह ग्राम अमृतवासी की आबादी भूमि है, जिस पर प्रार्थी पिछले 30

||
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अति. विभा. कलकत्ता
(प्रशासन), बीकानेर

वर्षा से अधिक समय से कालिब है और इस मूमि का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन कर रखा है। जिसके लिए ग्राम पंचायत में दिनांक 21.3.2012 को पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया हुआ है, जिसकी रसीद संख्या 22800 रसीद संख्या सं. 2 दिनांक 21.3.2012 के जरिये नियमानुसार शुल्क जमा कराया रखा है। परन्तु ग्राम पंचायत में सरपंच प्रार्थी के पक्ष की पार्टी का नहीं होने से पट्टा जारी नहीं किया गया। अपीलार्थी के मकान के आस-पास मकान ग्रामवासियों के बने हुए हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व के बने हुए हैं और ग्रामीण लोग उनमें निवास करते हैं। अपीलार्थी को जिस मूमि का अधिकारी बताया गया है उस पर अपीलार्थी व उसके पूर्वज पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं जिस पर अपीलार्थी ने काफी पुराना मकान बना रखा है। अपीलार्थी के पुत्र के नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। अपीलार्थी के व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजाल से साबित होता है कि प्रार्थी की रिहायश काफी पुरानी है और उनका मकान गांव की आबादी में है। अपीलार्थी ने जोहड़ पायतन की मूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि वे आबादी मूमि पर मकान बना कर रिहायश कर रहे हैं। अपीलार्थी के गांव में ज्यादातर लोग जोहड़ पायतन की मूमि भी सरकारी मूमि या जोहड़ पायतन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। अपीलार्थी व सुरजनवासी व सुरजनवासी तथा ग्राम विभागाध्यक्ष रामसर का पैमाइश की रिपोर्ट दिनांक 15.1.2016 को हल्का पटवारी, आईएलआर, एन.टी.ओ निरीक्षक, भूपबन्ध विभाग आदि अधिकारियों द्वारा मौका पर पैमाइश कर रिपोर्ट बनाई गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम अमृतवासी के खसरा नं. 25 गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के नक्शे के अनुसार लशीब चला कर सीमाज्ञान कराया गया और ग्राम सुरजनवासी के खसरा नं. 24 के कांकड़ से ग्राम अमृतवासी के खसरा नं. 25 की सीमा को नापा गया तो दोनों की सीमाएं मिलती नहीं है, दोनों की सीमाओं में काफी दूरी है। जबकि नक्शे के मुताबिक अमृतवासी के खसरा नं. 25 तथा सुरजनवासी के खसरा नं. 24 की सीमाएं कांकड़ के रूप में आपस में मिलती हैं। जबकि मौके पर दोनों सीमाओं के मध्य काफी दूरी बताई गई है। अपीलार्थी न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली, ना ही मौके पर जाकर पूछताछ की, गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों एवं पड़ोस में स्थित घरों के लोगों के बयान लेना, ना ही गांव की पूरी आबादी के नक्शा आदि कागजात की जांच की गई। और अपीलार्थी निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 19.05.2017 को तब हुई जब तहसील कर्मचारी ने अपीलार्थी को



रामसर अजीब मूमि सं. 18/2017 भीमराज नाम सरकार

अतिक्रमण हटाने संबंध नोटिस दिया और उन्हें कहा कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ का आदेश है कि आपको घर से बेदखल किया जावे और पंचवटी वसूल की जावे। जिस पर अपीलार्थी तहसील कार्यालय आये और रिकार्ड पढ़ने पर उनके विकार हुए और अपील निर्णय की जानकारी मिली जिस पर अपीलार्थी बिना समय बर्बाद किये, माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जो मियाद अन्दर शुमार फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एक छपे-छपाये प्रकोगी में दिया गया है, इस प्रकार निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता, इस वजह से भी काबिल खारिजी है। अतः अपील अन्दर मियाद मियाद शुमार करते हुये अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जावे एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ आदेश दिनांक 08.11.2013 निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिगा बस रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि में से 0.07 हैक्टयर भूमि पर संवत् 2070 में पक्का मकान मय बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। गैर सायल का जवाब है कि प्रार्थी ने ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टयेर में से 0.07 हैक्टयेर सरकारी भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है, नोटिस कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमायें। गैर सायल द्वारा न्याय संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने व साक्ष्य साबूत आदि के अभाव में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शारि से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बड़क सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अपीलार्थी प्रकरण की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिए प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपीलार्थी प्रकरण की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से प्रभावित भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिये प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपील मात्र राजकीय कीमती सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से की गई है। अपीलान्ट गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

||
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरुद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज भूमि पर अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्त गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)

अति.जिला कलक्टर, (प्रशा.)

बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

